



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

संभाग-दुर्ग

जिला संचालक के कार्यालय, सी.ई. रोड दुर्ग, ज.ग.

phone : 0788-2212121

E-mail : jdg@nctofdelhi.org

क्रमांक/मान्यता/ अनुमति/ 2021 / 1114

दुर्ग दिनांक

25/3/2021

// आदेश //

स.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय 03 के नियम 33 के उपनियम (1) के तहत नीचे दर्शित असासनीय हाई स्कूल / उ.मा. विद्या. को सत्र 2021-22 से 2022-23 तक अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी नवीनीकरण मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र.	संस्था का नाम	समिति का नाम	अनुमति स्तर	माध्यम	सत्र(कब से कब तक)	बोर्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली पब्लिक स्कूल महाराजपुर, कवर्धा (छ.ग.)	स्व.श्री श्रीराम माधुर एज्युकेशनल सोसायटी	कक्षा- 09वीं से 12वीं तक (नवीनीकरण)	अंग्रेजी	2021-22 से 2022-23 तक	सी.बी. एस.ई.

शर्तें-

- छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- समिति का स्वयं का शाला भवन हो अथवा समिति शीघ्र भवन निर्माण करवाएँ तथा शाला भवन संचालित कक्षा संख्या के मान से पर्याप्त हो जिसमें शौचालय, मूत्रालय एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो।
- हाई स्कूल के लिये 01 प्रायोगिक कक्ष एवं हायर सेकेंडरी विज्ञान हेतु 03 प्रायोगिक कक्ष की व्यवस्था अनिवार्य है।
- शाला की दर्ज संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम न हो अन्यथा दी गई मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- शाला स्टॉफ की नियुक्ति आवश्यक विषय के मान से रचनाकम अनुसार की जावें।
- शाला में शैक्षणिक प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण पाठ्यक्रम अनुसार पर्याप्त हो।
- वित्तीय अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जावें।
- प्रारंभिक कक्षा से कक्षा 12वीं तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पूर्णतः पालन किया जावें।

संयुक्त संचालक,

शिक्षा, संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग दिनांक

25/3/2021

पृ. क्रमांक/मान्यता/अनुमति/ 2021 / 1115

प्रतिलिपि :-

- सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली को सादर सुचनार्थ संप्रेषित।
- जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम को सुचनार्थ।
- संबंधित नोडल अधिकारी प्राचार्य स्वामी करपात्रीजी शास.उ.मा.शा कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सुचनार्थ।
- संबंधित संस्था प्रमुख दिल्ली पब्लिक स्कूल महाराजपुर, कवर्धा (छ.ग.) को सुचनार्थ, कर निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र के पूर्व शाला द्वारा उक्त प्रभाव के शर्तों की पूर्ति कर ली जावे अन्यथा आगामी सत्र में मान्यता पर विचार संभव नहीं होगा।

संयुक्त संचालक,

शिक्षा, संभाग-दुर्ग (छ.ग.)